BULANDSHAHR POLICE

दिनांक- 18 अप्रैल, 2025 **थाना साइबर क्राइम**

क्रेडिट कार्ड से धोखाधड़ी कर ठगी करने वाले गिरोह का शातिर सदस्य गिरफ्तार, ठगी किये गये शत-प्रतिशत 1,40,616/- रुपये कराये गये वापस।

अवगत कराना है कि दिनांक 25.03.2025 को वादी श्री विशेष कुमार पुत्र लखमी चन्द शर्मा निवासी ग्राम पाली आनन्दगढ़ी पोस्ट रघुनाथपुर जनपद बुलन्दशहर ने थाना साइबर क्राइम पर अज्ञात अभियुक्तों द्वारा वादी के दो क्रेडिट कार्ड से धोखाधड़ी कर ठगी करके 1,40,616/- रुपये निकालने के सम्बन्ध में तहरीर दी। इस सम्बन्ध में थाना साइबर क्राइम पर मुअसं-09/2025 धारा 318(4), 61(2) बीएनएस व 66D आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया।

उक्त घटना के क्रम में जाँच/छानबीन व तकनीकि साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त इमताज खान व संजय कुमार का नाम प्रकाश में आया तथा वादी के शत-प्रतिशत 1,40,616 रुपये वापस कराये गये। आज दिनांक 18.04.2025 को थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम द्वारा प्रकाश मे आये अभियुक्त इमताज खान को गिरफ्तार किया गया। उल्लेखनीय है कि प्रकाश में आया अभियुक्त संजय उपरोक्त झारखंड राज्य के जनपद देवघर के साइबर थाना पर पंजीकृत मुअसं- 57/25 धारा 319(2)/ 318(4)/ 338/ 336(3)/ 340(2)/ 61(2) बीएनएस व 66बी/ 66सी/ 66डी/ 84सी आईटी एक्ट में जिला कारागार देवघर झारखंड में निरुद्ध हैं। अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में साइबर क्राइम थाने पर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. इमताज खान पुत्र मुबीन खान निवासी ग्राम चिल्ला मदिना मस्जिद के पास पोस्ट तावडू जनपद नूह मेवात (हरियाणा)

बरामदगी का विवरणः-

1. ठगी किये गये शत-प्रतिशत 1,40,616/- रुपये वापस कराये गये

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. श्री सतीश कुमार पुरी प्रभारी निरीक्षक थाना साइबर क्राइम
2. निरीक्षक श्री रामखिलाडी यादव
3. निरीक्षक श्री सलाउद्दीन
4. उ0नि0 पवनदीप शर्मा, उ0नि0 अफरोज खान
5. है0का0 राकेश शर्मा, है0का0 जितेश शर्मा, का0 रनवीर सिंह

मीडिया सेल, बुलंदशहर